न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

पीठासीन अधिकारी श्याम सिंह शेखावत, आर.ए.एस.

अपील संख्या 524/2021

निर्णय दिनांक

1. ठाकुरसी पुत्र स्वर्गीय नाथूराम
2. रूपनारायण पुत्र स्वर्गीय नाथूराम
3. प्रभुनारायण पुत्र स्वर्गीय नाथूराम
4. कैलाश पुत्र स्वर्गीय नाथूराम

समस्त जाति बागडा ब्राहम्ण, निवासी ग्राम बावडी, तहसील व जिला जयपुर।

..... **अपीलार्थी**

बनाम

1. श्रीमती मुन्ना देवी पत्नि श्री घासीलाल शर्मा, जाति ब्राहम्ण, निवासी प्लॉट नंबर 78, जगन्नाथपुरी, कालवाड रोड, झोटवाडा, जयपुर।
2. रामनिवास पुत्र स्वर्गीय नाथूराम, जाति ब्राहम्ण, निवासी ग्राम बावडी, तहसील व जिला जयपुर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जयपुर, तहसील व जिला जयपुर।

..... **रेस्पोडेन्ट्स**

अपील विरूद्व प्राथमिक निर्णय डिक्री दिनांक 28.10.2021 न्यायालय सहायक कलेक्टर जयपुर शहर प्रथम जयपुर वाद पत्र संख्या 05/2019 उनवान श्रीमती मुन्ना देवी बनाम रामनिवास व अन्य अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

:–निर्णय–:

दिनांक :- 11/3/2022

1. अपीलार्थी द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष उक्त अपील न्यायालय सहायक कलेक्टर जयपुर शहर प्रथम जयपुर के वाद पत्र संख्या 05/2019 बउनवानी श्रीमती मुन्ना देवी बनाम रामनिवास व अन्य में पारित प्राथमिक निर्णय डिक्री दिनांक 28.10.2021 के विरूद्व अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद पत्र बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादी एवम् प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 विवादग्रस्त कृषि भूमि के खातेदार काश्तकार है जिनकी संयुक्त खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि भूमि ग्राम चक बावडी, तहसील व जिला जयपुर में स्थित है जिसके खाता संख्या 7 हाल खसरा नंबर 28/2 रकबा 11 बीघा 12 बिस्वा, खाता संख्या 8 खसरा नंबर 19/2 रकबा 5 बीघा 7 बिस्वा एवम् खाता संख्या 9 जिसके हाल खसरा नंबर 1/2 रकबा 4 बीघा 12 बिस्वा एवम् खसरा नंबर 1/5 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 13 बीघा 3 बिस्वा एवम् खाता संख्या 5 हाल खसरा नंबर 2/3 रकबा 9 बिस्वा, खसरा नंबर 4/3 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा, खसरा

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

नंबर 11/2 रकबा 1 बिस्वा, खसरा नंबर 16/1 रकबा 5 बिस्वा, खसरा नंबर 23 रकबा 4 बीघा कुल किता 5 कुल रकबा 7 बीघा 19 बिस्वा राजस्व जमाबंदी संवत् 2071 से 2074 में दर्ज है। वादी एवम् प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 काबिज होकर संयुक्त रूप से मनबट के आधार पर काश्त कर उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे है। विवादग्रस्त भूमि का वादी एवम् प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 के मध्य आज दिन तक विधिवत बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स तकासमा नहीं हुआ है। अभी कुछ दिन पूर्व प्रतिवादीगण एकराय होकर वादी के कब्जे काश्त की कृषि भूमि पर आये और निर्माण कार्य किये जाने के उद्देश्य से निर्माण सामग्री डलवा दी जिस पर वादी ने विरोध किया तो प्रतिवादीगण ने वादी के साथ झगडा फंसाद करने पर उतारू हो गये और वादी को मौका मिलते ही आराजीयात पर कब्जा कर आराजीयात को विक्रय, हस्तान्तरित करने की धमकी दी जिस कारण वादी को यह वाद पेश करना आवश्यक हुआ है। वादी ने वाद के अन्य बिन्दुओं के साथ वाद कारण अंकित करते हुए यह अनुतोष चाहा है कि वादी वाद विरूद्व प्रतिवादी स्वीकार कर वादग्रस्त आराजीयात का वादी व प्रतिवादी के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्सेनुसार बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स तकासमा किया जाकर खाता अलग–अलग किया जावे। प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वादी के हिस्से में आई भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करें, वादी के उपयोग में बाधा कारित न करें, राजस्व रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे। तत्पश्चात् अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अभिभाषक पक्षकारान् की बहस सुनकर, बाद बहस मनन दिनांक 28.10.2021 को प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित कर, तहसीलदार जयपुर को वादग्रस्त आराजीयात के सभी सहखातेदारों की तामील करवाकर उनकी मौजूदगी में बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर कुरैजात रिपोर्ट तैयार कर, न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया। अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी ने उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर तलबी रेस्पोडेन्ट्स जारी की गई। अभिभाषक पक्षकारान् की बहस सुनी गई। दौराने बहस अभिभाषक अपीलार्थी ने निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को अपीलाधीन निर्णय पारित किये जाते समय सुनवाई एवम् साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया। अपीलान्ट आराजीयात का रिकॉर्डेड सहखातेदार काश्तकार है। विधिनुसार सहखातेदार का पक्ष सुना जाकर ही वाद में कोई कार्यवाही किया जाना नितान्त आवश्यक है। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद को साबित करने का भार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 पर था, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जिससे यह साबित हो कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादग्रस्त आराजीयात में खातेदार काश्तकार हो एवम् आराजीयात पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का कब्जा हो। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक निर्णय डिक्री पक्षकारान की सहमति से किया जाना वर्णित किया गया है किन्तु अपीलान्ट द्वारा वाद में प्राथमिक निर्णय डिक्री पारित किये जाने हेतु सहमति प्रदान नहीं की गई है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रक्रिया का अनुसरण न कर, मनमाने ढंग से अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो विधि विरूद्व होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर, अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.10.2021 खारिज किये जावे। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अभिभाषक अपीलार्थी के कथनों का खंडन करते हुए निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद को साबित करने हेतु पर्याप्त सबूत पेश किये जिन्हें सही व साबित होना मानकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित

राजस्व अपील प्राधिकारी

किया गया है जो विधिनुसार सही है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार को वादग्रस्त आराजीयात के मौके पर जाकर, पक्षकारान् की उपस्थिति में कुरैजात तैयार कर, कुरैजात प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया है। वाद में कुरैजात आना अभी बाकी है। अपीलार्थी ने मात्र प्रकरण मे देरी करने के उद्देश्य से अपील प्रस्तुत की है। अतः अपील अपीलार्थी मिथ्या तथ्यों पर आधारित होने से खारिज की जावे।

4. अभिभाषक पक्षकारान् की बहस पर मनन किया गया। अपील मीमों एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। सुयोग्य अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी/रेस्पोडेन्ट द्वारा अपने वाद में विवादित आराजीयात का विवरण अंकित करते हुए यह अनुतोष चाहा था कि वादी का वाद बहस वादी विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर वाद में वर्णित भूमि का वादी एवम् प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 के मध्य उक्त मद में वर्णित हिस्से अनुसार बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर तकासमा किया जाकर उसी अनुसार अलग–अलग खाता कायम किया जाकर अलग से लगान कायम किया जावे। इस सन्दर्भ में अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत आधार अपील का अवलोकन किया गया जिसमें अपीलार्थी द्वारा मात्र यह बिन्दु उठाया गया है कि प्रतिवादी/अपीलान्ट्स को विधि अनुसार पक्ष सुनने का अवसर नहीं दिया गया। दौराने बहस अभिभाषक अपीलार्थी ने यह स्वीकार किया है कि प्रश्नगत आराजी संयुक्त खाते की आराजीयात है किन्तु उनके द्वारा न तो अपील के माध्यम् से न ही दौराने बहस राजस्व रिकॉर्ड में उनके अंकित हिस्सों को किसी प्रकार चुनौती दी गई है जबकि सुयोग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 16.11.2021 के माध्यम् से वाद को प्रारम्भिक डिक्री करते हुए तहसीलदार जयपुर को आदेश दिया गया था कि " ग्राम चकबावडी पटवार हल्का सरना डूंगर भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र माचवा तहसील जयपुर खाता संख्या 7 जिसके हाल खसरा नंबर 28/2 रकबा 11 बीघा 12 बिस्वा, खाता संख्या 8 के खसरा नंबर 19/2 रकबा 5 बीघा 7 बिस्वा, खाता संख्या 9 जिसके हाल खसरा नंबर 1/2 रकबा 4 बीघा 12 बिस्वा एवम् खसरा नंबर 1/5 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 13 बीघा 3 बिस्वा एवम् खाता संख्या 5 जिसके हाल खसरा नंबर 2/3 रकबा 9 बिस्वा, खसरा नंबर 4/3 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नंबर 11/2 रकबा 1 बिस्वा, खसरा नंबर 16/1 रकबा 5 बिस्वा, खसरा नंबर 23 रकबा 4 बीघा कुल किता 5 कुल रकबा 7 बीघा 19 बिस्वा भूमि में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए विवादग्रस्त भूमि के सभी सहखातेदारों की तामील करवाकर उनकी मौजूदगी में बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर कुर्रेजात तीन–तीन प्रतियों में तैयार कर मय नक्शे दिनांक 16/11/2021 से पूर्व भिजवाना सुनिश्चित करें। " यहां यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि तकासमे के वाद में न्यायालय द्वारा मात्र पक्षकारान् के हिस्सों की घोषणा की जाती है एवम् यदि राजस्व रिकॉर्ड में पक्षकारान् के हिस्सों के सन्दर्भ में कोई विवाद नहीं होता है तो तद्नुसार प्रारम्भिक डिक्री पारित की जाती है। अपीलार्थी द्वारा उनके अंकित हिस्सों के सन्दर्भ में कोई आपत्ति अपील के माध्यम से या दौराने बहस दर्ज नहीं कराई गई है जिससे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 28.10.2021 में कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। उपरोक्त विवेचन अनुसार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रारम्भिक निर्णय व डिक्री दिनांक 28.10.2021 यथावत रखे जाकर अपील अपीलार्थी खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

5. अतः अपील अपीलान्ट खारिज कर, अधिनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर जयपुर शहर प्रथम जयपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.10.2021 यथावत रखे जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

6. निर्णय आज दिनांक 11/3/2022 को लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर